बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना

अधि०सं० 4603632 /ग्रा०वि० पटना, दिनांक 15/09/2025
R-503/50/2025-Section-14-RDD-RDD

श्रीमती नीलम (बिहार ग्रामीण विकास सेवा, अनुक्रमांक-108163), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, लालगंज, जिला- वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 09.06.2025 को परिवादी श्री मिथलेश कुमार से 20,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया । रिश्वत लेने के आरोप में उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 35/2025 दिनांक- 06.06.2025 दर्ज होने की सूचना पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक- 955/अप०शा० पटना, दिनांक- 20.06.2025 से दी गयी ।

विभागीय अधिसूचना सं0- 4316750 दिनांक- 09.07.2025 द्वारा श्रीमती नीलम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में कारा निरोध की तिथि 09.06.2025 से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया ।

2. श्रीमती नीलम द्वारा दिनांक- 21.08.2025 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक- 22.08.2025 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया गया ।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या-...4603570... दिनांक-..15.09.2025.. द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(1) के आलोक में श्रीमती नीलम को निलम्बन से मुक्त करते हुए दिनांक-22.08.2025 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया ।

4. श्रीमती नीलम के विरूद्ध गंभीर कदाचार/भ्रष्टाचार का आरोप है एवं इनके अभियोजन स्वीकृति की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है ।

अतः श्रीमती नीलम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है ।

5. निलंबन अवधि में श्रीमती नीलम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

6. निलंबन अवधि में श्रीमती नीलम का मुख्यालय, उप विकास आयुक्त, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है ।

7. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

15.9.25

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 4603632 /ग्रा०वि० पटना, दिनांक 15/09/2025

का०परि०
बही

R-503/50/2025-Section-14-RDD-RDD

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में सी.डी. सहित) को बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषाग) विभाग; बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15.9.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 4603632 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक 15/09/2025

R-503/50/2025-Section-14-RDD-RDD

स्पीड पोस्ट/ईमेल/ का०परि० बही

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, वैशाली एवं पटना/पुलिस अधीक्षक, वैशाली एवं पटना/उप विकास आयुक्त, वैशाली एवं पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना /प्रखंड विकास पदाधिकारी, लालगंज, जिला- वैशाली/ श्रीमती नीलम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, लालगंज, जिला- वैशाली (सम्प्रति मुख्यालय:- ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना) पता:- पति- श्री प्रभात समीर, पिता- श्री मुन्नी लाल पासवान, सा0- बड़ा बरियारपुर, थाना- छतौनी, जिला- पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15.9.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 4603632 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 15/09/2025

R-503/50/2025-Section-14-RDD-RDD

का०परि० बही

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15.9.25

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :- 4603632 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 15/09/2025

R-503/50/2025-Section-14-RDD-RDD

का०परि० बही

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

15.9.25

सरकार के उप सचिव।